रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032026-270784
CG-DL-E-10032026-270784

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1180] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2026/फाल्गुन 18, 1947
No. 1180] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2026/PHALGUNA 18, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2026

का.आ. 1232(अ).— केंद्रीय सरकार ने निर्धारित किया है कि मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के परिणामस्वरूप होरमुज जलडमरूमध्य के माध्यम से द्रवीकृत प्राकृतिक गैस शिपमेंट में व्यवधान हुआ है और आपूर्तिकर्ताओं ने अपरिहार्य घटना खण्ड लागू किया है, जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक गैस को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भेज दिया जाएगा ;

और, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एसोसिएशन ऑफ नेचुरल गैस एवं अन्य बनाम भारत संघ (2001 का विशेष संदर्भ संख्या 1) के सामान्य निर्णय में अभिनिर्धारित किया है कि प्राकृतिक गैस और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती है ;

और, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की अनुसूची की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत आते हैं ;

और, केन्द्रीय सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन, अन्य बातों के साथ-साथ, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति और वितरण तथा उससे संबंधित व्यापार और वाणिज्य को विनियमित करने की शक्ति प्रदान की गई है, यदि उसकी राय में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद की आपूर्ति बनाए रखने या बढ़ाने के लिए अथवा उनका न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है ;

और, प्राकृतिक गैस, जिसके अंतर्गत पुन: गैसीफाइड द्रवीकृत प्राकृतिक गैस भी है, घरेलू पीएनजी आपूर्ति, परिवहन के लिए सीएनजी, उर्वरक उत्पादन, एलपीजी उत्पादन और अन्य औद्योगिक गतिविधियों जैसे क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है ;

और, केंद्रीय सरकार, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक गैस का समान वितरण और निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, प्राकृतिक गैस, जिसके अंतर्गत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस और पुन: गैसीफाइड द्रवीकृत प्राकृतिक गैस भी है, की प्राकृतिक गैस आपूर्ति के उत्पादन, क्षेत्रवार आवंटन और उपयोजन, के वितरण, निपटान, अधिग्रहण, उपयोग या उपभोग को विनियमित करना आवश्यक समझती है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की उपधारा (2) के खंड (घ) और (च) के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2026 है ।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2. उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन--केंद्रीय सरकार, प्राथमिकता क्षेत्र के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और समान वितरण तथा उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्नलिखित निर्देश दे सकेगी :--

(1) प्राथमिकता क्षेत्र 1

निम्न क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता आबंटन समझा जाएगा और इसे, परिचालन उपलब्धता के अधीन रहते हुए, उनके पिछले छह मास के औसत गैस उपभोग के सौ प्रतिशत तक बनाए रखा जाएगा :

(क) घरेलू पाइप प्राकृतिक गैस आपूर्ति ;

(ख) परिवहन के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस ;

(ग) एलपीजी उत्पादन, जिसके अंतर्गत एलपीजी संकोचन अपेक्षाएं भी हैं ;

(घ) पाइपलाइन संपीडित ईंधन और अन्य आवश्यक पाइपलाइन परिचालन अपेक्षाएं ।

(2) प्राथमिकता क्षेत्र 2

उर्वरक प्लांट को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति, परिचालन उपलब्धता के अधीन रहते हुए, उनके पिछले छह मास के औसत गैस उपभोग के सत्तर प्रतिशत तक सुनिश्चित की जाएगी :

परंतु इकाइयाँ उर्वरकों के उत्पादन के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए गैस आपूर्ति का उपयोग नहीं करेंगी और इस आशय का प्रमाणपत्र उर्वरक मंत्रालय के माध्यम से पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पीपीएसी" कहा गया है) को प्रस्तुत किया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी विशिष्ट इकाई को दिया गया आबंटन किसी अन्य इकाई को नहीं किया जा सकेगा ।

(3) प्राथमिकता क्षेत्र 3

गैस विपणन अस्तित्व यह सुनिश्चित करेंगे कि राष्ट्रीय गैस ग्रिड के माध्यम से चाय उद्योग, उत्पादन और अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति, परिचालन उपलब्धता के अधीन रहते हुए, उनके पिछले छह मास के औसत गैस उपभोग के अस्सी प्रतिशत पर बनाए रखी जाती है :

स्पष्टीकरण--इस क्षेत्र को गैस आबंटन के प्रयोजन के लिए, सिद्धांत पीपीएसी द्वारा, उद्योग समिति के समन्वय से, तैयार किए जाएंगे ।

(4) प्राथमिकता क्षेत्र-4

सभी शहरी गैस वितरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "सीहीडी" कहा गया है) अस्तित्व यह सुनिश्चित करेंगे कि औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ता, जिन्हें उनके नेटवर्क के माध्यम से आपूर्ति की जाती है, परिचालन उपलब्धता के अधीन रहते हुए, उनके पिछले छह मास के औसत गैस उपभोग के अस्सी प्रतिशत तक प्राप्त करें ।

स्पष्टीकरण--इस क्षेत्र को गैस आबंटन के प्रयोजन के लिए, सिद्धांत पीपीएसी द्वारा, उद्योग समिति के समन्वय से, तैयार किए जाएंगे ।

3. गैस पुन:वितरण--(1) पैरा 2 में उल्लिखित प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित गैस, निम्न प्राथमिकता क्रम में आपूर्ति गैस में पूर्णत: या भागत: कटौती करके, दी जाएगी :

(क) पेट्रोरसायन सुविधाएं, जो निम्न तक सीमित नहीं हैं :

(i) ओएनजीसी पेट्रोल एडिशंस लिमिटेड ;

(ii) गेल पाटा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ;

(iii) रिलायंस ओ2सी और अन्य उच्च दबाव उच्च तापमान (एचपीएचटी) गैस उपभोक्ता ;

(ख) यथा अपेक्षित विद्युत संयंत्र ।

(2) तेल परिशोधन कंपनियां, एलएनजी आपूर्ति व्यवधान के प्रभाव को, परिचालन उपलब्धता के अधीन रहते हुए, रिफाइनरियों के गैस आबंटन को यथा संभव, उनके पिछले छह मास के गैस उपभोग के पैसठ प्रतिशत तक, कम करके आत्मसात करेगी ।

4. गैस पूलिंग का क्रियान्वयन तंत्र--(1) गैस अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् गैल कहा गया है), पीपीएसी के साथ समन्वय से, ऊपर दिए गए निर्देशों को क्रियान्वित करने के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का प्रबंध करेगी, जिसके लिए वह प्राकृतिक गैस की प्रत्येक स्थानांतरित मात्रा के बीजक मूल्य को पीपीएसी को प्रस्तुत करेगी ।

(2) पीपीएसी द्वारा गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से यहां यथा विनिर्दिष्ट प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित प्राकृतिक गैस के लिए एक संयुक्त मूल्य अधिसूचित किया जाएगा ।

(3) प्राथमिकता क्षेत्र के अस्तित्व, जिन्हें संयुक्त गैस की आपूर्ति की जाती है, यह वचन देंगे कि संयुक्त मूल्य उन्हें स्वीकार्य है और वे अपरिहार्य घटना में आपूर्ति को किसी मुकदमे के अधीन नहीं करेंगे, क्योंकि यह उनके विद्यमान संविदा से भिन्न हो सकेगा ।

(4) अस्तित्व, स्थानांतरित प्राकृतिक गैस को पुनः विक्रय नहीं करने का वचन देंगे ।

5. गैस उत्पादकों, विपणकों और पाइपलाइन प्रचालकों के लिए निर्देश--प्राकृतिक गैस के उत्पादन, आयात, विपणन, परिवहन या आपूर्ति में लगे सभी अस्तित्व, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

(क) ओएनजीसी, आरआईएल, ओआईएल, वेदांता और अन्य घरेलू प्राकृतिक गैस उत्पादक

(ख) गेल और अन्य गैस विपणन संस्थाएं,

(ग) एलएनजी टर्मिनल प्रचालक,

(घ) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रचालक, और

(ङ) शहरी गैस वितरण अस्तित्व,

इस आदेश में अंतर्विष्ट निर्देशों का, गेल के समन्वय से, तत्काल अनुपालन करेंगे, जिसमें आपूर्ति कार्यक्रम में संशोधन, आपूर्ति का परिवर्तन और प्राकृतिक गैस का क्षेत्रवार ऐसा आबंटन सम्मिलित है, जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा निदेश दिया जाए।

6. विद्यमान संविदा संबंधी व्यवस्थाओं पर अध्यारोही प्रभाव—इस आदेश के उपबंधों का, गैस विक्रय करारों (जीएसए) और अन्य वाणिज्यिक व्यवस्थाओं में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभाव होगा।

7. सूचना प्रस्तुत करना-- प्राकृतिक गैस, जिसके अंतर्गत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस और पुन: गैसीफाइड द्रवीकृत प्राकृतिक गैस भी है, का प्रत्येक उत्पादक, आयातक, परिवहनकर्ता, विपणक या वितरक, उत्पादक, आयात, स्टॉक, आबंटन, आपूर्ति और उपभोग से संबंधित सूचना, केंद्रीय सरकार को या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को देगा।

***स्पष्टीकरण--**सूचना* देने के प्रयोजन के लिए, केंद्रीय सरकार, पीपीएसी को नोडल अभिकर्ता के रूप में प्राधिकृत अधिकृत करती है।

[फा. सं. 16016/6/2026-जीपी1 (ई:55648)]
रघुराम कृष्णा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

ORDER

New Delhi, the 9th March, 2026

S.O. 1232(E).— Whereas, the Central Government has assessed that the ongoing conflict in the Middle East has resulted in the disruption of liquefied natural gas shipments through the Strait of Hormuz and suppliers have invoked force majeure clause which would entail diversion of natural gas to the priority sectors;

And Whereas, the Hon'ble Supreme Court in the common judgement of Association of Natural Gas and others v. Union of India (In re Special Reference No. 1 of 2001) has held that natural gas and liquified natural gas come within the purview of petroleum and petroleum products;

And Whereas, the petroleum and petroleum products are covered under entry 5 of the Schedule of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955);

And Whereas, the Central Government is conferred with the power under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, to regulate, *inter alia*, the supply and distribution of petroleum and petroleum products, as well as trade and commerce relating to the same, if it is of the opinion that it is necessary or expedient to do so for maintaining or increasing supplies of petroleum and petroleum product or for securing their equitable distribution;

And Whereas, natural gas, including re-gasified LNG are a critical input for sectors such as domestic PNG supply, CNG for transport, fertilizer production, LPG production and other industrial activities;

And Whereas, the Central Government, in order to ensure equitable distribution and continued availability of natural gas for priority sectors, considers it necessary to regulate production, sector-wise allocation and diversion of natural gas supplies, distribution, disposal, acquisition, use or consumption of natural gas, including LNG and re-gassified-LNG.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 read with clauses (d) and (f) of sub-section (2) of the Essential Commodities Act, 1955, the Central Government hereby makes the following order, namely: —

1. **Short title and commencement.-** (1) This order may be called the Natural Gas (Supply Regulation) Order, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Regulation of production, supply and distribution. –** The Central Government may, with a view to maintain supplies and securing equitable distribution and availability of natural gas for priority sector, hereby directs as under: -

(1) Priority Sector I

The supply of natural gas to the following sectors shall be treated as priority allocation and shall be maintained subject to operational availability to hundred per cent. of their average past six month average gas consumption:

(a) Domestic Piped Natural Gas supply;

(b) Compressed Natural Gas for transport;

(c) LPG production including LPG shrinkage requirements;

(d) Pipeline compressor fuel and other essential pipeline operational requirements.

(2) Priority Sector II

The supply of natural gas to the fertilizer plants shall ensure seventy per cent. of their past six month average gas consumption, subject to operational availability:

Provided that the units shall not use the gas supply for any other purpose except in the production of fertilizers and a certificate to this effect shall be furnished to the Petroleum Planning and Analysis Cell (hereinafter referred to as the "PPAC") through the Ministry of Fertilizer:

Provided further that allocation to a particular unit may not be diverted to any other unit.

(3) Priority Sector III

The gas marketing entities shall ensure that gas supply to tea industries, manufacturing and other industrial consumers supplied through the national gas grid is maintained at eighty per cent. of their past six month average gas consumption subject to operational availability.

Explanation.- For the purpose of gas allocation to this sector, the principles shall be evolved by the PPAC in coordination with the Industry Committee.

(4) Priority Sector IV

All City Gas Distribution (hereinafter referred to the "CGD") entities shall ensure that industrial and commercial consumers supplied through their networks receive eighty per cent. of their past six month average gas consumption subject to operational availability.

Explanation : For the purpose of gas allocation to this sector, the principles shall be evolved by the PPAC in coordination with the Industry Committee.

3. **Gas redistribution. -** (1) The gas required to meet the priorities mentioned in paragraph 2 shall be through full or partial curtailment of gas supplied in the following order of priority:

(a) petrochemical facilities not limited to:

(i) ONGC Petrol additions Limited;

(ii) GAIL Pata Petrochemical Complex;

(iii) Reliance O2C and other High-Pressure High Temperature (HPHT) gas consumers;

(b) power plants as required.

(2) The oil refining companies shall absorb the impact of LNG supply disruption to the extent feasible by reducing gas allocation to refineries to approximately sixty-five per cent. of the past six month gas consumption, subject to operational feasibility.

4. **Implementation mechanism of pooling of gas. -** (1) The Gas Authority of India Limited (hereinafter referred to as the GAIL), in coordination with the PPAC shall manage the supplies of natural gas to implement the above directions for which it shall submit the invoice price of every diverted volume of natural gas to the PPAC.

(2) A pooled price shall be notified by the PPAC for the natural gas diverted from non-priority sectors to priority sectors as specified herein.

(3) The entities from priority sector to whom the pooled gas is supplied shall give an undertaking that the pooled price is acceptable to them and they shall not make the force majeure mitigation supply subject to any litigation as this may be at variance with their existing contracts.

(4) The entities shall undertake not-to resale the diverted natural gas.

5. Directions to gas producers, marketers and pipeline operators. -All entities involved in production, import, marketing, transportation or supply of natural gas including:

(a) ONGC, RIL, OIL, Vedanta and other domestic natural gas producers

(b) GAIL and other gas marketing entities,

(c) LNG terminal operators,

(d) Natural gas pipeline operators, and

(e) City Gas Distribution entities,

shall forthwith comply with the directions contained in this order, including revision of supply schedules, diversion of supplies and sector-wise allocation of natural gas as directed by the Central Government in coordination with the GAIL.

6. Overriding effect on existing contractual arrangements. – The provisions of this order shall have effect notwithstanding anything inconsistent contained in the Gas Sale Agreements (GSAs) and other commercial arrangements.

7. Furnishing of information. - Every producer, importer, transporter, marketer or distributor of natural gas including LNG and regasified LNG shall furnish information relating to production, imports, stocks, allocation, supply and consumption to the Central Government or to any officer authorised by it.

Explanation. - For the purposes of furnishing information, the Central Government authorises the PPAC as the nodal agency.

[F. No. L-16016/6/2026-GP-I (E:55648)]

REGHURAM KRISHNA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.03.10 00:25:24 +05'30'